संख्या : ——— /जी0एस0/शिक्षा/A3-48/2018

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालयःउत्तराखण्ड **देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2021**

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 1701/मान्यता/के0यू0/2020-21 दिनांक 04 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलपति द्वारा चाणक्य लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को बी0ए0एलएल0बी0, बी0बी0ए0एलएल0बी0 एवं एलएल0बी0 पाठ्यकमों में शैक्षिक सत्र 2020-21 से 2022-23 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन/पूर्व स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	**महाविद्यालय/संस्थान का नाम**	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)**	**अस्थाई सम्बद्धता की अवधि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	चाणक्य लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	1-बी0ए0एलएल0बी0, 2-बी0बी0ए0एलएल0बी0, 3-एलएल0बी0	60 सीट 60 सीट 180 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- यदि सम्बन्धित संस्थान के मानक अपूर्ण होने के दृष्टिगत सम्बद्धता/पूर्वानुमोदन पर प्रश्न चिन्ह लगता है अथवा कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।
तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3521 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A3-48 /2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, चाणक्य लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव